भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2258

14 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"प्रदूषण से निपटना"

2258. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या मंत्रालय ने प्रदूषण को कम करने के लिए पेट्रोलियम क्षेत्र के साथ करार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (ग): सरकार ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और वाहन उत्सर्जन की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से भारत में इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम 2015 में अखिल भारतीय आधार पर शुरू की। वर्तमान में, फ़ेम इंडिया स्कीम के चरण-II को 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से लागू किया जा रहा है। इस चरण में सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है तथा इसका उद्देश्य सब्सिडी के माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहिया वाहनों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच रेंज की चिंता को दूर करने के लिए चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण को भी समर्थन दिया जाता है।

साथ ही, सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. फेम इंडिया स्कीम, चरण-II के अंतर्गत 11 जून, 2021 से इलेक्ट्रिक दुपहियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन की लागत सीमा को 20% से बढ़ाकर 40% करते हुए मांग प्रोत्साहन को 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटे से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा कर दिया गया है जिससे इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की लागत आईसीई दुपहिया वाहनों के बराबर हो गई है।

ii. सरकार ने देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी जिससे देश में बैटरी की कीमत कम होगी और उसके परिणामस्वरुप इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी आएगी।

iii. इलेक्ट्रिक वाहन ऑटोमोबिल और ऑटो घटक विषयक उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम में शामिल किए गए हैं जिसे 15 सितंबर, 2021 को पांच वर्ष की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।

iv. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है; इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी-चालित वाहनों को हरी लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

vi. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथ-कर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रारंभिक लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

***